

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बिलाडा, जिला-जोधपुर

व इजलास-मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थी

रामधन राज

व/

रंजना

किस्म मुकदमा 136 एल.आर. एक्ट

प्रकरण संख्या :- 212 / 2024

--आदेश--

दिनांक :- 14/10/2024

प्रार्थी

रामधन राज

पुत्र श्री

रंजना

जाति... कांकी ... निवासी ... खेजडा ... तहसील बिलाडा, जिला जोधपुर, राज. ने एक प्रार्थना पत्र बाबत राजस्व रेकर्ड में नाम दुरुस्ती का पेश किया है। प्रार्थना पत्र को जाँच हेतु तहसीलदार बिलाडा को भेजा जावे।

तहसीलदार बिलाडा से जाँच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसमें तहसीलदार बिलाडा ने अवगत करवाया है कि ग्राम खेजडा की जमाबन्दी सम्वत् 2026-29 के खाता सं... में दर्ज अशुद्ध नाम रामधन राज पुत्र रंजना जाति कांकी निवासी खेजडा का शुद्ध नाम रामधन राज पुत्र रंजना जाति खेजडा निवासी खेजडा की राजस्व रेकर्ड में शुद्ध किये जाने हेतु सहमत है। अतः जाँच रिपोर्ट व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर. एक्ट का

रंजना

इस प्रकार के अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ़तर हो।

रंजना
उप खण्ड अधिकारी
बिलाडा